उत्तर प्रदेश कोर्नियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 वर्ष 1964)

THE UTTAR PRADESH CORNEAL GRAFTING ACT, 1964 [U. P. Act No. XXIII of 1964]

उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, 1964¹ {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 वर्ष 1964}

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनाँक 31 मार्च, 1964 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनाँक 4 अगस्त, 1964 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनाँक 28 सितम्बर, 1964 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनाँक 3 अक्टूबर, 1964 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

चिकित्सीय तथा अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्तियों के नेत्रों का उपयोग करने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्रापिटंग अधिनियम, 1964 कहलाएगा।

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

- (2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
- (3) यह अधिनियम तुरन्त प्रचलित होगा।

2-- जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :--

परिभाषाएं

- (1) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य अस्पताल या ऐसी चिकित्सा शिक्षण संस्था या चिकित्सा अन्वेषण केन्द्र अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुमोदित करे;
- (2) मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में "निकट सम्बन्धी" से किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसका सम्बन्ध मृतक से पत्नी, पित, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बिहन के रूप में हो या जो मृतक के स्वीय विधि के अनुसार उसका उत्तराधिकारी हो;
- (3) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा नियत से है:
- (4) "मान्यता प्राप्त" का तात्पर्य अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, मान्यता प्राप्त से है;
- (5) ''निबद्ध चिकित्सक'' का तात्पर्य यू०पी० मेडिकल ऐक्ट, 1917 के उपबन्धों के अधीन निबद्ध चिकित्सक से है; और

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, वर्ष 1917

- (6) "लावारिस शव" का तात्पर्य उस मृत व्यक्ति के शव से है, जिसका कोई निकट सम्बन्धी न हो या जिसके शव के लिए दावा उसके किसी निकट सम्बन्धी द्वारा मृत्यु के दो घंटे के भीतर न किया गया हो।
- 3—(1) यदि किसी व्यक्ति ने लिखित रूप में किसी समय अथवा मौखिक रूप में अपनी अन्तिम बीमारी के दौरान में दो या अधिक गवाहों के सामने यह इच्छा व्यक्त की हो कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके नेत्रों का उपयोग चिकित्सकीय या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किया जाय तो वह व्यक्ति, जिसके कब्जे में, वैधतः उसका शव हो, उक्त प्रयोजनों के लिए शव से नेत्रों को निकालने का प्राधिकार दे सकता है, जब तक कि उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि उक्त प्रार्थना बाद में वापस ले ली गई थी।

मृत व्यक्तियों के नेत्रों का निकाला जाना

^{1.} उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 23 नवम्बर, 1963 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह व्यक्ति, जिसके कब्जे में वैधतः मृत व्यक्ति का शव हो, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए शव से नेत्रों को निकालने का प्राधिकार दे सकता है, जब तक उसे यह विश्वास करने का कारण न हो —
 - (क) मृतक ने अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने नेत्रों के इस प्रकार निकाले जाने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त की थी और उसने वह आपत्ति वापस नहीं ली थी; या
 - (ख) मृतक के किसी निकट सम्बन्धी ने मृतक के नेत्रों के इस प्रकार निकाले जाने पर आपत्ति की है।
- (3) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए मृतजात बच्चे के नेत्र उसके यथास्थिति, माता—पिता अथवा माता या पिता की सहमति से निकाले जा सकते हैं।
- (4) किसी मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन दिया गया प्राधिकार शव से नेत्रों को निकालने और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा, किन्तु इस प्रकार नेत्र निकालने का कार्य, किसी अनुमोदित संस्था में काम करने वाले मान्यता प्राप्त निबद्ध चिकित्सक व्यवसायी द्वारा ही किया जाएगा, जिसने शव की व्यक्तिगत परीक्षा कर के अपना यह समाधान कर लिया हो कि वह निष्प्राण हो गया है।

4-- धारा 3 के अधीन नेत्रों को निकालने का प्राधिकार न दिया जाएगा :--

प्राधिकार कब नहीं दिया जाएगा

- (क) यदि ऐसा प्राधिकार देने के लिए अधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि तत्समय प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार शव का मरणान्वेषण किया जा सकता है:
- (ख) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे अन्य व्यक्ति ने मृत व्यक्ति के शव को केवल उसे गाड़ने या उसका बहिकर्म करने के प्रयोजन के लिए सौंपा हो।

5— अनुमोदित संस्था में पड़े हुए लावारिस शव की दशा में, इस अधिनियम के अधीन नेत्रों को निकालने का प्राधिकार उस व्यक्ति द्वारा जिसके नियन्त्रण या प्रबन्ध में ऐसी संस्था हो या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी रीति से दिया जा सकता है, जो नियत की जाय।

लावारिस शव के सम्बन्ध में प्राधिकार

6—— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात नियम बना सकती है ।

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अविध पर्यन्त रखें जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनाँक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनाँक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।
- 7— (1) इस अधिनियम के उपर्युक्त उपबन्धों की कोई बात, मृत व्यक्ति के शव या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी ऐसी कार्यवाही को अवैध करने वाली न मानी जाएगी, जो वैध होती, यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता।
- (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नेत्रों को निकालने के लिए दिया गया कोई अधिकार, इण्डियन पीनल कोड की धारा 297 के उपबन्धों का उल्लंघन न समझा जाएगा।

अपवाद

ऐक्ट संख्या 45, वर्ष 1860

THE UTTAR PRADESH CORNEAL GRAFTING ACT, 1964¹ [U. P. ACT NO. XXIII OF 1964]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 31, 1964 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly, on August 4, 1964.

Received the assent of the President on September 28, 1964- under Article 201 of 'the Constitution of India'. and was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated October 3, 1964.]

AN ACT

to make provision with respect to the use of eyes of deceased persons for therapeutic and research purposes

IT IS HEREBY enacted in the Fifteenth -Year of the Republic of India as follows-

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Corneal Grafting Act, 1964.
 - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
 - (3) This Act shall come in to force at once.

Definitions

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires-
 - (1) "approved institution" means a hospital or a medical teaching or research institution which the State Government may, by notification in the Gazette, approve for the purposes of this Act;
 - (2) "near relative" in relation to a deceased person, means any person related to the deceased as wife, husband, parent, son; daughter, brother, Sister, and includes any other person who under the personal law governing the deceased may be the heir of the deceased;
 - (3 "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
 - (4) "recognized" means recognized by the State Government for the purposes of this Act in such manner as may be prescribed;
 - (5) "registered medical practitioner" means a practitioner registered under the provisions of the U. P. Medical Act, 1917; and
 - (6) "unclaimed body" means the body of a deceased person, who has no near relative or which has not been claimed by any of his near relatives within two hours of the death of the deceased.

Removal of eyes of deceased persons

3. (1) If any person either in writing at any time, or orally in the presence of two or more witnesses during his last illness has expressed a request that his eyes be used for therapeutic or research purposes after his death, the person lawfully in possession of his body after his death may, unless he has reason to believe that the request was subsequently withdrawn, authorise the removal of the eyes from the body for the said purposes.

¹ For Statement of Objects and Reasons, see Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated November 23, 1963.

- (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the person lawfully in possession of the body of a deceased person may authorize the removal of the eyes from the body for the purposes aforesaid, unless he has reason to believe that------
 - (a) the deceased had expressed an objection to his eyes being so dealt with after his death, and had not withdrawn such objection; or
 - (b) any near relative of the deceased objects to the deceased's eyes being so dealt with.
- (3) The eyes of a still-born child may be removed for the aforesaid purposes with the consent of his parents or parent as the case may be.
- (4) An authority given under this section in respect of any deceased person shall be sufficient warrant for the removal of the eyes from the body and their use for the purposes aforesaid; but no such removal shall be effected except by a recognized register medical practitioner working in an approved institution who has satisfied himself by a personal examination of the body that life is extinct.

Authority when not to be given

- 4. Authority for removal of the eyes shall not be given under section 3--
 - (a) if the person empowered to give such authority has reason to believe that an inquest may be held on the body in accordance with the provisions of any law for the time being in force;
 - (b) by a person entrusted by another person with the body of the deceased person for the purposes only of its interment or cremation.

Authority in respect of an unclaimed body

5.

In the case of an unclaimed body lying in an approved institution, an authority for removal of eyes under this Act may be given in such manner as may be prescribed, by the person having the control or management of such institution or by any other person authorized by him in this behalf.

Power of the State Government to make rules

- 6. (1) The State Government may after previous publication make rules for carrying out the purposes of this Act.
 - (2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

Saving

7. (1) Nothing in the foregoing provisions of this Act shall be construed as rendering unlawful any dealing with the body or any part thereof, of a deceased person who would have been lawful if this Act had not been passed.

Act XLV of 1860

(2) Any authority for the removal of eyes given in accordance with the provisions of this Act shall not be deemed to be a contravention of the provisions of section 297 of the Indian Penal Code,
